Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 33/2022

Indradev Singh ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील समाहर्त्ता, कटिहार के आदेश ज्ञापांक–411 दिनांक–12.05.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इनका कथन है कि अपीलार्थी अंचल कार्यालय, प्राणपुर, जिला–कटिहार में प्रभारी प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थे (सम्प्रति सेवानिवृत्त)। अंचलाधिकारी, प्राणपुर सहित अपीलार्थी एवं अन्य अंचल कर्मियों के विरूद्ध श्री प्रवेन्दु नारायण सिन्हा (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता) द्वारा भ्रष्टाचार एवं गलत आचरण के संबंध में दिनांक–26.09.18 को जिला पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष परिवाद पत्र समर्पित किया गया। कार्यालय पत्रांक 3168/गो0 दिनांक–10.10.18 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार से उसकी जाँच कराई गई। उनके पत्रांक 437/गो0 दिनांक–20.02.19 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदनानुसार अंचल–प्राणपुर, मौजा–सिरण्डा, खाता सं0–479, खेसरा सं0–2189, रकवा–1.91 एकड़ तथा खेसरा सं0–2190, रकवा–2.95 एकड़, कुल रकवा–4.86 एकड़ भूमि परिवादी एवं उनके भाई उज्जवल कुमार सिन्हा तथा विवाहिता बहन लतिका सिन्हा राय के नाम जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि से संबंधित सिलिंग वाद सं0–79/1973–74 अपर समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में विचाराधीन लंबित है। अंचल कर्मियों की मिलीभगत से उक्त भूमि के नामांतरण हेतु ब्रह्मदेव ऋषि द्वारा दिनांक–14.05.18 को समर्पित आवेदन के आलोक में नामांतरण वाद सं0–213/2018–19 संधारित करते हुए नामांतरण स्वीकृत किया गया। जबकि पूर्व में तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा वर्ष 1914 एवं 1915 में उक्त भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया जा चुका था। नामांतरण वाद सं0–212/18–19 में अपीलार्थी द्वारा विपक्षियों को कोई सूचना तामिल नहीं कराया गया था। उक्त सभी तथ्यों को छुपाते हुए इनके द्वारा नामांतरण स्वीकृत कराया गया। इनके विरूद्ध ''प्रपत्र–क'' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसे बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(B) में सम्परिवर्तित करते हुए जाँच	

Web Copy Not Official.

		प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अपीलार्थी ने अपने बचाव में यह स्पष्ट किया कि पूर्व में अस्वीकृत नामांतरण वादों का प्रभार इन्हें नहीं मिला था तथा इसकी क्रमशः	
	लगातार 18.07.2023	जानकारी भी उन्हें नहीं थी। सुनवाई की अवधि में आवेदक की मृत्यु हो जाने से वास्तविक तथ्य उजागर नहीं हो सका। अंचल अधिकारी द्वारा स्थल जाँच भी किया गया था। विपक्षी को साधारण डाक से सूचना निर्गत थी। अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार से मंतव्य की माँग की गई। जिसमें उन्हें स्पष्ट किया कि अपीलार्थी द्वारा विपक्षी को नोटिस का तामिला नहीं कराया गया है। इनके द्वारा जानबूझ कर नोटिस साधारण डाक से भेजी गई थी। विपक्षी की अनुपस्थिति में नामांतरण की सारी प्रक्रिया की गई है जो विधिसम्मत् नहीं है। इनके द्वारा मामले की गहन जाँच कर ही प्रतिवेदन दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार उन्होंने अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया है। उक्त के आलोक में अपीलार्थी से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई जिसमें इनके द्वारा उपर्युक्त तथ्यों को ही दुहराया गया है। इनका आगे कथन है कि अनुशासनिक प्राधिकार का आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा को नजरअंदाज करते हुए दंडादेश पारित किया गया है। इन्हें पूर्व के नामांतरण वाद प्रभार में प्राप्त नहीं था। अंचल अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया है। अपीलार्थी को अधिरोपित दंड विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी, कटिहार ने पत्रांक 246 दिनांक–25.02.23 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त नामांतरण वाद सं0–212/2018–19 में तत्कालीन अंचल अधिकारी, श्री अरूण कुमार सरोज, सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी श्री मुरलीधर बोसाक, तत्कालीन प्रखंड अंचल निरीक्षक, श्री ललित कुमार सिंह एवं अपीलार्थी की मिलीभगत से नामांतरण वाद स्वीकृत किया गया है जबकि विपक्षी को सूचना भी तामिल नहीं कराया गया। अपीलार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए अपने कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन सही रूप से नहीं किया गया है। जो सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा कदाचार की श्रेणी में आता है। अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के जाँच प्रतिवेदन एवं अपीलार्थी से प्राप्त प्रथम एवं द्वितीय कारणपृच्छा पर सम्यक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1893 दिनांक–14.06.2011 के कंडिका 2(1) (क) एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के तहत् कार्रवाई करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(B) में निहित प्रावधानानुसार अधिरोपित दंड सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील आवेदन अस्वीकृत करने योग्य बताया गया है।	

Web Copy, Not Official.

		उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी, प्राणपुर के समक्ष विचाराधीन नामांतरण वाद सं0–212/2018–19 में तथ्यों को छुपाते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। क्रमशः	
	लगातार 18.07.2023	अपीलार्थी का यह कथन है कि उक्त वाद की सुनवाई के क्रम में आवेदक ब्रह्मदेव मुसहर की मृत्यु हो जाने के कारण वास्तविक तथ्य उजागर नहीं हो पाया जबकि अपीलार्थी को यह पूर्णतः ज्ञात था कि प्रश्नगत भूमि विवादित है। परिवादी (भू–स्वामी) की उपस्थिति हेतु साधारण डाक से सूचना भेजना, उनकी अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई करवाना तथा अंचल अधिकारी को उक्त तथ्यों से अवगत न कराना परिवादकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप को प्रमाणित करता है। निम्न न्यायालय आदेश अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलार्थी को पूर्व में भी वर्ष 2018 में आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप तीन (03) वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में भी पूर्व के कथनों को दोहराया गया है। इनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंड़ित हो सके। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, कटिहार के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख/संचिका जिला पदाधिकारी, कटिहार को वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.